न्यायालय–अमरसिंह सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर

(आप.प्र.क.–769/21)

(संस्थित दिनांक 22.06.2021)

मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र थाना–गोटेगांव
जिला–नरसिंहपुर(म0प्र0) ....**अभियोजन**

विरूद्ध

इमरान उर्फ चीना खान आत्मज युसूफ खान, आयु 28 वर्ष,
निवासीः–पटैल वार्ड गोटेगांव, थाना, तहसील गोटेगांव,
जिला नरसिंहपुर म.प्र. ....**अभियुक्त**

//उपार्पण आदेश//

(आज दिनांक–06.07.2021 को पारित)

(1) इस आदेश के द्वारा प्रकरण धारा–209 दं.प्र.सं. के तहत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष उपार्पित किया जा रहा है।

(2) अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र से धारा–294, 324, 307, 302 भा.दं.सं. तथा आयुध अधिनियम की धारा–25, 27 के आधार पर संज्ञान लिया गया है।

(3) अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विजय डोंगरे दिनांक 16.04.2021 को रात्रि करीब 10.30 बजे वह तथा उसकी पत्नी शबाना बी अपने घर में खाना बना रहे थे, उसके बच्चे–बच्ची बैठकर पढ़ रहे थे, उसी समय उसके घर के सामने रहने वाला इमरान खान उसके दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसे तथा उसकी पत्नी शबाना को मॉ–बहन की गंदी–गंदी गालियां दे रहा था, गालियां सुनने में बुरी लग रही थी, वह तथा उसकी पत्नी ने उसको गाली देने से मना किया तो इमरान खान ने अपने हाथ में रखे चाकू से जान से मारने की नियत से उसकी पत्नी शबाना के बांये तरफ पसली के नीचे चाकू से मारा जिससे वह गिर गई, वह बीच–बचाव करने लगा तो इमरान ने उसे भी बांये तरफ पसली, बांये पैर के घुटना, बांये हाथ की कुहनी में चाकू से मार कर प्राणघातक चोंट पहुंचाया, घटना अमन मुसलमान तथा मोहल्ले के लोगों ने देखा–सुना है, उक्तानुसार सूचना प्राप्त होने पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र. 0/21, धारा–294, 324, 307 भा.दं.सं. की देहाती नालसी लेख कर अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध थाना गोटेगांव पर अपराध क्र. 264/21, धारा–294, 324, 307, 302 भा.दं.सं. तथा आयुध अधिनियम की

धारा–25, 27 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर अभियोग पत्र विचाराणार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिनमें से धारा–307, 302 भा.दं.सं. के विचारण का क्षेत्राधिकार अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय को होने से प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर के न्यायालय में विचारण हेतु विधिवत् उपार्पित किया जाता है।

(4) प्रकरण में धारा–207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में अभियुक्त को अभियोग पत्र की स्वच्छ एवं पठनीय छायाप्रति प्रदान की जावे।

(5) प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः अभियुक्त का कमिटल वारंट तैयार कर, जेल अधीक्षक नरसिंहपुर को निर्देशित किया गया कि अभियुक्त को आगामी नियत दिनांक–19.07.2021 को माननीय सत्र न्यायालय नरसिंहपुर के समक्ष 11:00 बजे उपस्थित रखा जाये।

(6) प्रकरण उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक नरसिंहपुर एवं नाजिर मालखाना नरसिंहपुर को पृथक से दी जावे।

(7) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति परीक्षण हेतु आर.एफ.एस.एल. जबलपुर भेजी गई है।

(8) निरीक्षक/थाना प्रभारी गोटेगांव जिला–नरसिंहपुर को उर्पापण की सूचना दी जावे। केस डायरी मय सील बंद लिफाफे के माननीय सत्र न्यायालय को भेजी जावे।

(9) अभियुक्त दिनांक 30.04.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

(10) धारा–428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर आदेश के साथ संलग्न किया जावे।

(11) प्रकरण विधिवत् तैयार कर माननीय सत्र न्यायालय, नरसिंहपुर में विधिवत् प्रेषित किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर पारित किया। सही/– (अमरसिंह सिसोदिया) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर म0प्र0	मेरे बोलने पर टंकित किया गया। सही/– (अमरसिंह सिसोदिया) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर म0प्र0